उत्तर प्रदेश सरकार

वन अनुभाग-1

संख्या-154/985/14-1-2014-50/2008 टी0सी0

लखनऊ, दिनांक 17 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश वन सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश वन सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली, 1993, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 4 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप- नियम
(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है:-	(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जांय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी की पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है:

पद का नाम	**पदों की संख्या**
1- उप निदेशक	22
2- सहायक वन संरक्षक	158

पद का नाम	पदों की संख्या
1. संयुक्त निदेशक	05
2. उप निदेशक	17
3. सहायक वन संरक्षक	208

परन्तु:

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(दो) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

परन्तु यह कि,

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम 5 का प्रतिस्थापन

3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 विद्यमान नियम
भर्ती का श्रोत 5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-	भर्ती का स्रोत 5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी-
(1) सहायक वन संरक्षक-	**(1)** सहायक वन संरक्षक-
(क) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(क) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(ख) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अधीनस्थ वन सेवा के ऐसे वन रेन्जरों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(ख) पचास प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त उत्तर प्रदेश वन विभाग रेन्ज वन अधिकारियों की सेवा के रेन्ज वन अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(2) **उप निदेशक-**	(2) उप निदेशक-
मौलिक रूप से नियुक्त सहायक वन संरक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक वन संरक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	(3) संयुक्त निदेशक-
	मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

नियम 10 का प्रतिस्थापन

4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

http://srsanadesh.up.nic.in

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु 10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायें पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।	आयु-10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाये, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम 15 का प्रतिस्थापन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
रिक्तियों का अवधारण 15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।	रिक्तियों का अवधारण 15. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां आयोग को सूचित की जायेंगी।

नियम 16 का संशोधन

6. उक्त नियमावली में, नियम-16 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (4) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

http://shasanadesh.up.nic.in

स्तम्भ 1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसाकि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझें, संस्तुत करेगा यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।	(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझें, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

नियम 17-क संशोधन

7. उक्त नियमावली, नियम 17-क, में-

(क) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान पार्श्व शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया पार्श्व शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 विद्यमान पार्श्व शीर्षक	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पार्श्व शीर्षक
"उप निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया"	"उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के पदों हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया"

(ख) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

http://shasanadesh.up.nic.in

स्तम्भ 1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
(1) उप निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित, उ0प्र0 विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।	(1) उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदंडों के आधार पर की जायेगी।
टिप्पणी-चयन समिति ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे. वर्गो को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम-निर्देशन समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे. वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।	**टिप्पणी-**चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम-निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे. वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

नियम 19 का संशोधन

8. उक्त नियमावली में,नियम-19 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम(5) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्**:-**

स्तम्भ 1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
(5) सहायक वन संरक्षक के पद पदोन्नति द्वारा भर्ती हुए अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह नियुक्ति के पश्चात् कालेज से छः मास की अवधि का पदोन्नति सम्बद्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त कर ले।	(5) सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह नियुक्ति के पश्चात् कालेज से सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित अवधि का पदोन्नति सम्बद्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण कर ले।

नियम 23 का संशोधन

9. उक्त नियमावली में, नियम-23 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्**:-**

http://shasanadesh.up.nic.in

स्तम्भ 1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
(2) उत्तर प्रदेश वन सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2003 के प्रराम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार है:-	(2) उत्तर प्रदेश वन सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नलिखित है:

पद नाम	वेतनमान
1-उप निदेशक	10000-325-15200 रूपये
2-सहायक वन संरक्षक	8000-275-13500 रूपये

पद नाम	वेतनमान
1. संयुक्त निदेशक	वेतन बैण्ड-3 रूपया 15600-39100 और ग्रेड वेतन रूपया 7600/-
2. उप निदेशक	वेतन बैण्ड-3 रूपया 15600-39100 और ग्रेड वेतन रूपया 6600/-
3. सहायक वन संरक्षक	वेतन बैण्ड-3 रूपया 15600-39100 और ग्रेड वेतन रूपया 5400/-

नियम 25 का निकाला जाना

10. उक्त नियमावली में, नियम 25 को निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(वी0एन0गर्ग)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.985/14-1-2014-50/2008T.C.dated 17 November 2014.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FOREST SECTION-I
NOTIFICATION
Miscellaneous
No..985/14-1-2014-50/2008 T.C,
Dated Lucknow November 2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Forest Service Rules,1993:

THE UTTAR PRADESH FOREST SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2014

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Forest Service (Second Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Forest Service Rules, 1993, hereinafter referred to as the said rules, in rule 4, for existing sub-rule(2) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 **Existing sub-rule**	**COLUMN 2** **Sub-rule as hereby substituted**
(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub-rule **(1)**, be as given below:-	**(2)** The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule **(1)**, be as given below:

Name of the posts	**Number of the posts**
Deputy Director	22
Assistant Conservator of Forests	158

Name of the post	**Number of posts**
1. Joint Director	05
2. Deputy Director	17
3. Assistant Conservator of Forests	208

Provided that:

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation;

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary post from time to time as he may consider proper.

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

------contd.page 2

http://shasanadesh.up.nic.in

Substitution of rule 5

3. In the said rules, for existing rule 5 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 **Existing rule**	**COLUMN 2** **Rule as hereby substituted**
Source of recruitment **5.** Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources: **(1)** Assistant Conservator of Forest- **(a)** Fifty percent by direct recruitment through the Commission. **(b)** Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Forest Rangers of the Subordinate Forest Service who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment. **(2)** Deputy Director- By promotion through the Selection Committee form amongst substantively appointed Assistant Conservator of Forests who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.	**Source of recruitment** **5.** Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources: **(1)** Assistant Conservator of Forests- **(a)** Fifty percent by direct recruitment through the Commission. **(b)** Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Range Forest Officers of the Uttar Pradesh Forest Department Range Forest Officers' Service who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment. **(2)** Deputy Director- By promotion through the Selection Committee form amongst substantively appointed Assistant Conservator of Forests who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment. **(3)** Joint Director- By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Directors who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

Substitution of rule 10

4. In the said rules, for existing rule 10 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 **Existing rule**	**COLUMN 2** **Rule as hereby substituted**
Age 10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 32 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission:	**Age 10.** A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the

------contd.page 3

http://shasanadesh.up.nic.in

	Commission:
Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.	Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Substitution of rule 15

5. In the said rules, for existing rule 15 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 **Existing rule**	**COLUMN 2** **Rule as hereby substituted**
Determination of vacancies **15.** The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.	**Determination of vacancies** **15.** The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to the Commission.

Amendment of rule 16

6. In the said rules, in rule 16, for existing sub-rule (4) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 **Existing sub-rule**	**COLUMN 2** **Sub-rule as hereby substituted**
(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be larger (but not larger by more than 25 percent) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.	**(4)** The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

------contd.page 4

http://shasnadesh.up.nic.in

Amendment of rule 17-A **7. In the said rules, in rule 17-A,--**

(a) for the existing marginal heading set out in column 1 below, the marginal heading as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 **Existing marginal heading**	**COLUMN 2** **Marginal heading as hereby substituted**
"Procedure for recruitment by promotion to the post of Deputy Director"	"Procedure for recruitment by promotion for the posts of Deputy Director and Joint Director"

(b) for existing sub-rule (1) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 **Existing sub-rule**	**COLUMN 2** **Sub-rule as hereby substituted**
(1) Recruitment by promotion to the post of Deputy Director shall be made on the basis of Seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.	**(1)** Recruitment by promotion to the posts of Deputy Director and Joint Director shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.
NOTE:- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.	NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes)Act,1994, as amended from time to time.

Amendment of rule 19 **8. In the said rules, in rule 19, for existing sub-rule (5) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-**

COLUMN 1 **Existing sub-rule**	**COLUMN 2** **Sub-rule as hereby substituted**
(5) A candidate recruited by promotion to	**(5)** A candidate recruited by promotion to

------contd.page 5

http://sanadesh.up.nic.in

the post of Assistant Conservator of Forest, shall, after appointment, be required to undergo a Promotion Linked Training Course of six months duration at the College.	the post of Assistant Conservator of Forests, shall, after appointment, be required to undergo a Promotion Linked Training Course for the period as fixed by the Government from time to time at the College.

Amendment of rule 23

9. In the said rules, in rule 23, for existing sub-rule (2) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1

Existing sub-rule

(2) The scale of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Forest Service (First Amendment) Rules, 2003 are as follows:

Name of Post	Scale of pay
1. Deputy Director	Rs. 10000-325-15200
2.Assistant Conservator of Forests	Rs. 8000-275-13500

COLUMN 2

Sub-rule as hereby substituted

(2) The scales of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Forest Service (Second Amendment) Rules, 2014 are as follows:

Name of post	Scale of pay
1.Joint Director	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 and Grade Pay Rs. 7600/-
2.Deputy Director	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 and Grade Pay Rs. 6600/-
3.Assistant Conservator of Forests	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 and Grade Pay Rs. 5400/-

Omission of rule 25

10. In the said rules, rule 25 shall be omitted.

By order,

(V.N. Garg)
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in